राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) नागौर

क्रमांक : एफ.12(101)/राजस्व/2017/ 5094 दिनांक : 14/9/17

संपरिवर्तन आदेश

श्री मंगलाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति मेघवाल निवासी शुभदण्ड,ग्राम पंचायत सोगावास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का "राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007" के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं :

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता का नाम/पति का नाम, पता	**श्री मंगलाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति मेघवाल निवासी शुभदण्ड,ग्राम पंचायत सोगावास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर**
2	आवेदक क्या अ.जा. या अ.ज.जा. का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :– क. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम शुभदण्ड ग्राम पंचायत सोगावास तहसील मेड़ता
	ख. भूमि का ख.नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ग्राम शुभदण्ड के खसरा नम्बर 209/108 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, में से 1577 वर्ग मीटर भूमि
	ग. प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल	ग्राम शुभदण्ड के खसरा नम्बर 209/108 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, में से 1577 वर्ग मीटर भूमि
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	नियम–7 के अनुसार
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जीआरएन 0013990215 दिनांक 16.11.2016 राशि 15770/– (पन्द्रह हजार सात सौ सत्तर रू मात्र) राजकोष में जमा हो चुके हैं।
7	चालान संख्या/तारीख, शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम–13 के अधीन जारी किया गया हैं ?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो तो	–

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की समावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी, तथा आवेदक द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा करवाई गई राशि प्रत्याहृत हो जायेगी।

PTO

गौरव कुमार शर्मा / Gaurav Kumar Sharma
वरि. प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) / Sr. Managar (Retail Salas)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M.D.)
अजमेर मण्डल कार्यालय / Ajmer Divisional Office
अजमेर / AJMER - 305006 03/07/20

3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।
4. वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प)प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लियें उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा ।
5. इंडियन रोड कांग्रेस मापदंडानुसार भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोडते हुए एवं यदि इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडों में वर्णित सडक मार्ग से वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) तक जाने के लिये रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क मार्ग एवं अन्य मार्ग से पेट्रोल पंप तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सा.नि.विभाग से पूर्वानुमति लेनी होगी एवं सड़क सीमा/राष्ट्रीय मार्ग/राज्यमार्ग आदि की निर्धारित नोर्म्सानुसार दूरी छोड़कर एवं सड़क सीमा में आने वाली भूमि का राज हक में समर्पण करवाकर निर्माण कार्य कराना होगा।
6. उक्त संपरिवर्तन वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के लिए इस कार्यालय की अनापत्ति अथवा सहमति नहीं मानी जावे। वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने के संबंध में संबंधित विभागों की राय के अनुसार कोई भी उचित निर्णय लेने के लिए यह कार्यालय स्वतंत्र रहेगा।
7. संबंधित विभाग की अनापत्ति/सहमति उपरान्त यदि इस रूपान्तरित भूमि पर वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो निकटतम स्थानीय निकाय विभाग एवं नियम के प्रावधानों/मापदण्डानुसार वाणिज्यिक (पेट्रोलपम्प) स्थापित करना होगा।
8. नक्शा ब्लयू प्रिन्ट एवं नक्शा ट्रेस को संपरिवर्तन आदेश का हिस्सा माना जावेगा।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक : सम्/ 5095-5102 दिनांक : 14/9/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता
2. तहसीलदार, मेड़ता को भेजकर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का उपयोग निश्चित समयावधि में जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उसी उपयोग में ली जा रही है, या नहीं का प्रमाण पत्र अपने स्तर पर लेवें एवं यदि भूमि का उपयोग जिस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है, उस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया हो, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावें।
3. उप पंजीयक, मेडता
4. सरपंच, ग्राम पंचायत सोगावास पंचायत समिति मेड़ता
5. **श्री मंगलाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति मेघवाल निवासी शुभदण्ड,ग्राम पंचायत सोगावास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर**
6. राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, नागौर।
7. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय मेड़ता
8. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
नागौर

गौरव कुमार शर्मा / Gaurav Kumar Sharma
वरि. प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) / Sr. Managar (Retail Salas)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M.D.)
अजमेर मण्डल कार्यालय / Ajmer Divisional Office
अजमेर / AJMER - 305006
03/09/20

उप पंजीयक
मेड़ता (नागौर)

नक्शा स्थिती कृषि भूमि को वाणिज्यिक (PETROL PUMP)प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने बाबत वाके ग्राम शुभदण्ड कि सरहद में खसरा नंबर 209/108 रकबा 0.4047 हैक्टेयर में से मार्क A.B.C.D से दर्षित का क्षैत्रफल 1577.00 वर्गमीटर

प्रार्थी :— श्री मंगलाराम पुत्र श्री घीसाराम जाती मेघवाल निवासी शुभदण्ड तहसील मेड़ता

DNO.13562.74.2018

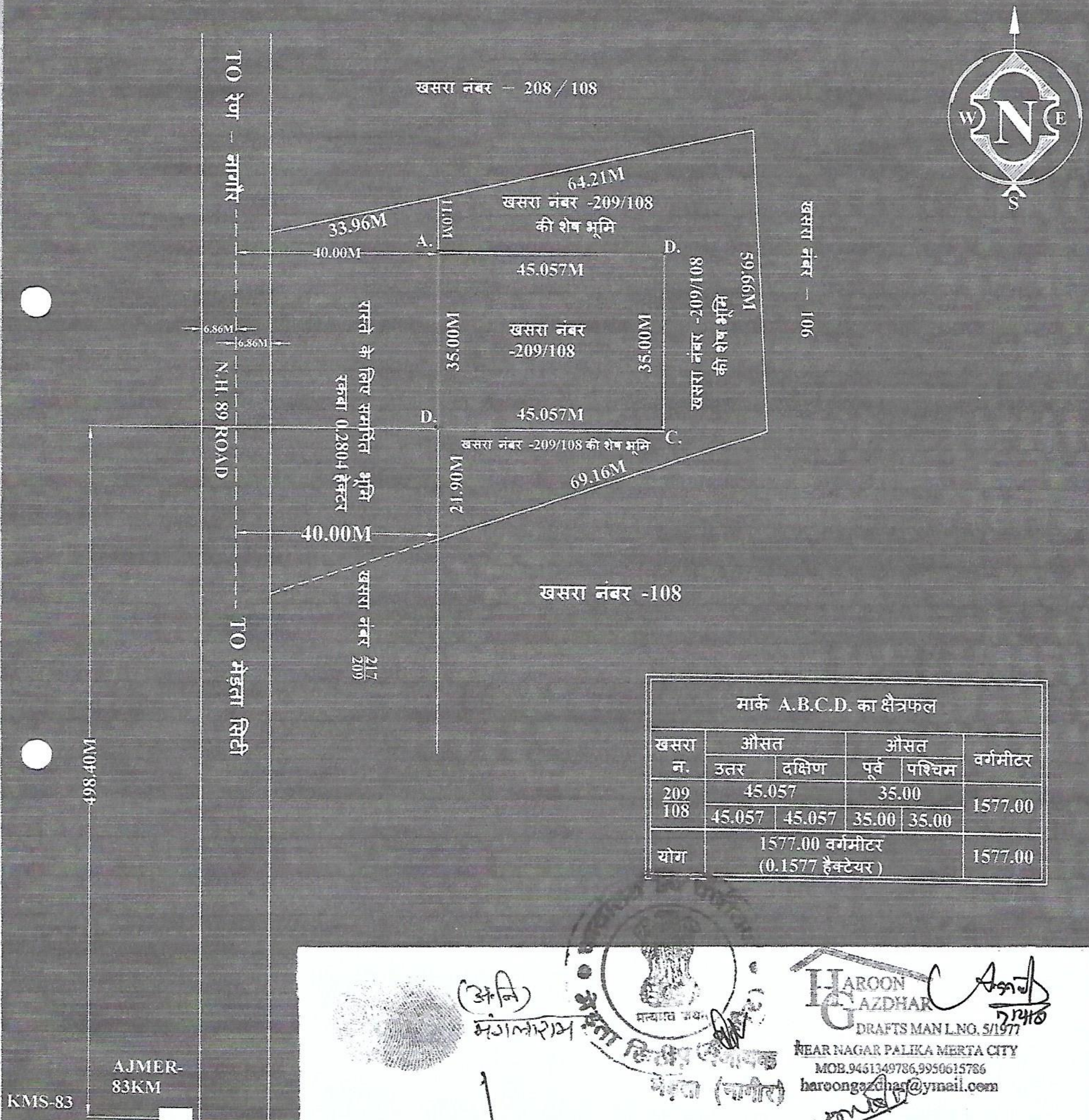

मार्क A.B.C.D. का क्षैत्रफल

खसरा न.	औसत		औसत		वर्गमीटर
	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
209/108	45.057		35.00		1577.00
	45.057	45.057	35.00	35.00	
योग	1577.00 वर्गमीटर (0.1577 हैक्टेयर)				1577.00

(अंनि) मंगलाराम

HAROON GAZDHAR
DRAFTS MAN L.NO. 5/1977
NEAR NAGAR PALIKA MERTA CITY
MOB.9461349786,9950615786
haroongazdhar@ymail.com

पटवारी (मु-अ)
शुभदण्ड, तह. मेड़ता

तहसीलदार (भू.अ.) मेड़ता
जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

गौरव कुमार शर्मा / Gaurav Kumar Sharma
वरि. प्रबन्धक (खुदरा बिक्री) / Sr. Managar (Retail Salas)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M.D.)